

BCI ने वदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

प्रलिस के लिये:

BCI, सर्वोच्च न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय वाणजियिक मध्यस्थता, अधिवक्ता अधिनियम, 1961

मेन्स के लिये:

BCI ने वदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भारत में वदेशी वकीलों और वदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और वनियमन के लिये नयिम, 2022 अधिसूचति कयि है, जो वदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति देते हैं।

- हालाँकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नयिमक प्राधिकरणों के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं दी है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नरिणय:

- एक दशक से अधिक समय से BCI भारत में वदेशी कानूनी फर्मों को अनुमति देने का वरिध कर रहा था।
- अब BCI ने तर्क दिया है कि उसके इस नरिणय से देश में [प्रत्यक्ष वदेशी निवेश](#) के प्रवाह से संबंधित चिंताओं का समाधान होगा और भारत [अंतरराष्ट्रीय वाणजियिक मध्यस्थता](#) का केंद्र बन जाएगा।
- ये नयिम उन वदेशी लॉ फर्मों को कानूनी स्पष्टता प्रदान करते हैं जो वर्तमान में भारत में बहुत सीमति तरीके से कार्य करती हैं।
- BCI ने कहा कि वह "इन नयिमों को लागू करने के लिये संकल्पति है, ताकि वदेशी वकीलों और वदेशी कानूनी फर्मों को [वदेशी कानून एवं वभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानून तथा भारत में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की कार्यवाही को अच्छी तरह से परभाषति, वनियमति व नयित्तरति तरीके](#) से पारस्परकिता की अवधारणा पर अभ्यास करने में सक्षम बनाया जा सके।

नए नयिम:

- अधिसूचना वदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में अभ्यास करने हेतु BCI के साथ पंजीकरण करने की अनुमति देती है यदि वे अपने देश में कानून का अभ्यास करने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते।
 - अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, केवल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता भारत में कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं। अन्य सभी जैसे कि वादी, केवल न्यायालय प्राधिकारी या उस व्यक्तिकी अनुमति से उपस्थति हो सकता है जिसके समक्ष कार्यवाही लंबति है।
- उन्हें लेन-देन संबंधी कार्य/कॉर्पोरेट कार्य (गैर-मुकदमेबाजी अभ्यास) जैसे संयुक्त उद्यम, वलिय और अधगिरहण, [बाँधकि संपदा मामले](#), अनुबंधों का मसौदा तैयार करना तथा पारस्परकि आधार पर अन्य संबंधित मामलों का अभ्यास करने की अनुमति होगी।
- उन्हें अनुसंधान, संपत्ति हस्तांतरण या इसी तरह के अन्य कार्यों से संबंधित किसी भी कार्य में भाग लेने या करने की अनुमति नहीं है।
- वदेशी कानूनी फर्मों के साथ काम करने वाले भारतीय वकील भी केवल "नॉन-लटिगियस प्रैक्टिस" में संलग्न होने के समान प्रतबंध के अधीन होंगे।

नए नयिम का महत्त्व?

- यह विशेष रूप से सीमा पार वलिय और अधगिरहण (M&A) अभ्यास में कार्य करने वाली फर्मों के लिये संभावित समेकन का मार्ग प्रशस्त करता है।
- वैश्विक संदर्भ में वदेशी वधिकि फर्मों का प्रवेश, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणजिय में, भारत की महत्त्वाकांक्षा को अधिक

दृश्यमान तथा मूल्यवान बनाने में बड़े पैमाने पर समर्थन करेगा।

- वैश्विक संदर्भ में यह मध्यम आकार की फर्मों के लिये एक महत्त्वपूर्ण नरिणय होगा और भारत में वधिकि फर्मों को प्रतभिा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय ज्ञान और प्रबंधन में **अधिक दक्षता प्राप्त करने** में मदद करेगा।

बार काउंसलि ऑफ इंडिया:

- बार काउंसलि ऑफ इंडिया भारतीय वकीलों को वनियिमति और प्रतनिधित्त्व प्रदान करने के लिये **अधविक्ता अधनियिम, 1961** के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक **सांवधिकि संस्था** है।
- यह **पेशेवर आचरण और शषिट्टाचार के मानकों को नरिधारति करके तथा अधविक्ताओं पर अनुशासनात्मक अधकिार क्षेत्र** का प्रयोग करके नयिमक कार्य करता है।
- यह कानूनी शकिषा के लिये मानक भी नरिधारति करता है और उन वशि्वविद्यालयों को मान्यता देता है जनिकी वधिमें डगिरी एक अधविक्ता के रूप में नामांकन के लिये योग्यता के रूप में काम करती है।
- इसके अतरिकित्त यह **अधविक्ताओं के वशिषाधकिारों, अधकिारों और हतियों की रक्षा के साथ-साथ** उनके लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिये धन जुटाकर कुछ प्रतनिधित्त्व संबंधी कर्त्तव्यों को पूरा करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2022)

1. सरकारी वधिाधकिारी और वधिकि फर्म अधविक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, कति कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधविक्ता की मान्यता से बाहर रखे गये हैं।
2. वधिजिज्ञ परषिदों (बार काउंसलि) को वधिकि शकिषा और वधिाशि्वविद्यालयों की मान्यता के बारे में नयिम अधकिथति करने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस